आवेदन सह तकनीकी बीड का प्रपत्र
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार कार्यालय के लिए बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता के लिए आवेदन पत्र

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि..........................अपराह्न.................बजे तक

आवेदन कर्ता द्वारा भरा जायेगा

1. आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत/पार्टनरशिप) ....
2. आवेदक का नाम/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/ एजेन्सी का नाम ....

   ....

   (आवेदक/पार्टनरशिप फर्म का आई.डी. यथा–चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आई.डी., निवास प्रमाण पत्र, **G.S.T-**रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाए)
3. पता–...

   ....

   ....
4. दूरभाष नम्बर /मोबाईल नम्बर ....
5. फैक्स नम्बर/ई–मेल ....
6. आवेदक का G.S.T- रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि कोई हो) ....
7. पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का G.S.T. रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
8. आवेदक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का पैन नम्बर ....
9. आवेदक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी के स्वामित्वाधीन वाहनों की संख्या ....

   ....

   (वाहन का मेक, मॉडल, प्रकार आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप–**1** पर संलग्न करें)
10. राज्य सरकार के साथ किये गये कार्यों का विवरण (यदि कोई हो) (वैकल्पिक) (पूर्ण विवरण प्रारूप–**2** पर संलग्न की जाय)

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकर के समस्त शर्त्तों का अवलोकन किया गया है और उसे भली प्रकार समझा हैं। मैं प्राधिकार द्वारा निर्धारित शर्त्तों पर अपना वाहन देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्त्ता का नाम एवं

पता...................................

निविदा की अनिवार्य शर्त्तें

1. निविदा दो लिफाफे में देना होगा।
2. एक लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड देना अनिवार्य होगा।
3. निविदा लिफाफों पर मारुति सुजूकी सियाज एवं महिन्द्रा बोलेरो वाहन किराया पर देने से संबंधित निविदा एवं तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिखना होगा।
4. तकनीकी बिड के साथ झारखंड सरकार का जी0 एस0 टी0 नं0/आयकर पैन संख्या एवं पंजीयन न0 का स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. तकनीकी बिड के साथ शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि उनका फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है, एवं पुलिस/बिजिलेंस जाँच विचाराधीन नहीं है और न ही सक्षम माननीय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।
6. कार्य अनुभव से संबंधित पमाण पत्र की प्रति भी सलंग्न करने की अपेक्षा की जाती है।
7. वित्तीय बिड में किराया दर शब्द एवं अंक दोनों में अंकित करना अनिवार्य है।
8. वाहन तीन वर्ष से पुरानी मान्य नहीं होगी।
9. निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्थिति में निविदा रद्द करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्त्ता का नाम एवं

पता...................................

वित्तीय बिड का प्रपत्र

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपयाग हेतु महिन्द्रा बोलेरो 01 (एक) तथा मारुति सुजूकी सियाज 01(एक) निविदा के माध्यम से बाह्य स्रोत्र से लिया जाना है। अतः इन्छुक निबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से 01 (एक) मारुति सियाज एवं 01(एक) महिन्द्रा बोलेरो के मासिक किराया से संबंधित दर, ईंधन, चालक सहित/ईंधन रहित, चालक सहित अंकित करने की अपेक्षा की जाती है। निर्धारित दर में चालक, रात्रि ठहराव, निबंधन, रोड टैक्स एवं रख–रखाव आदि सहित होंगे।

प्रारुप

क्र0स0	**वाहन का नाम**	**मसिक किराया(ईंधन, चालक आदि सहित)**	**मसिक किराया (चालक सहित एवं ईंधन रहित)**
01	मारुति सियाज		
02	महिन्द्रा बोलेरो		

हस्ताक्षर

आवेदनकर्त्ता का नाम एवं

पता...................................

निविदा की अन्य शर्त्तें:–

1. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा व्यावसायिक रुप से झारखंड के अन्तर्गत निबंधित वाहन उपलब्ध कराना होगा।
2. वाहन के मासिक विपत्र में नियमानुसार सेवा कर/GST सहित अन्य सभी करों के रुप में देय राशि का अलग–अलग उल्लेख करना होगा।
3. वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर अपूर्तिकर्त्ता को अविलंब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था दो घण्टों के अन्दर करनी होगी।
4. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्त्ता को लिखित घोषणा पत्र समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को एकरारनामा सम्पादित होने के साथ वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। यदि वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे तो अनुबंध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।
6. यदि कोई वाहन चालक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं है तो आपूर्तिकर्त्ता को उनके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक की व्यवस्था करानी होगी। विलम्ब की स्थिति में प्रति घण्टा 100/– (एक सौ) रुपये की दर से मासिक भुगतान में कटौती की जाएगी।
7. आपूर्तिकर्त्ता को वाहन चालक को आवश्यक नगद राशि सुलभ कराना होगा ताकि वाहन में किसी प्रकार की आकस्मिक खराबी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलम्ब मरम्मति कराया जा सके।
8. वाहन का उपयोग सामान्य कार्यालय कार्य के लिए किया जाएगा परन्तु आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग कार्यालय अवधि के उपरान्त कार्य समाप्ति तक किसी भी समय (अवकाश के दिनों में भी) किया सकता है। वाहन की आपूर्ति 24 घंटों की उपलब्धता के आधार पर होगी।
9. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व उपयोग करने वाले पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने होगी। बिना अनुमति के चालक एवं वाहन को नहीं बदला जाएगा।
10. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा भाड़े पर दिये गये वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी के आदेशानुसार संचालित होगें एवं पदाधिकारी के अधीन ही रहेगी।
11. वाहन क्रय होने तक या अगले आदेश तक जो पहले हो, तक के लिए ली जाएगी। उपयोग करने वाले पदाधिकारी 15 दिनों की पूर्व सूचना पर एकरारनामा को समाप्त कर सकते है।
12. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने पर प्राधिकार को विपत्र से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. वाहन उपयोग के दारान वाहन चालक अथवा वाहन के किसी प्रकार के दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारणवश होने वाले क्षति का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
14. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन तीन वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए साथ ही पूर्व में दुर्घटनाग्रसत एवं दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रुप से सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिए।
15. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मति एवं रख–रखाव आपूर्तिकर्त्ता को स्वंय करनी होगी।
16. वाहन में साफ तौलिया, रेडियों, कार परफ्यम्, मोबाईल चार्जर तथा मानसून के समय वाहन में छाता की सुविधा आपूर्तिकर्त्ता का अपने व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
17. चालक का अद्यतन ड्राईविंग लाइसेंस, चारित्री एवं स्वस्थ होने संबंधी घोषणा आपूर्तिकर्त्ता को देना होगा।

18. वाहन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात वाहन चालक के जिम्मे होनी चाहिए। टफिक नियमों के उल्लघंन एवं कागजातों की जाँच होने पर दण्ड के द्वारा अधिरोपित शुल्कों की भुगतान की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
19. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए तथा उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
20. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर उपयोग करने वाले पदाधिकारी को चालक बदलने का अधिकार होगा।
21. वित्त विभाग के संकल्प (पत्रांक–वित्त–7–31/2002 (खण्ड–1)–2316/वि0 दिनांक–04.10.2024) एवं तत्संबंधी समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
22. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखंड द्वारा वाहनों के किराये से संबंधित निर्धारित दर अथवा कम दर अनुमान्य होगा।
23. आपूर्तिकर्त्ता को वाहन वार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बीते माह का विपत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. किसी वाहन के संतोषप्रद परिचालन नहीं होने पर उपयोग करने वाले पदाधिकारी को भुगतान में कटौती करने का अधिकार होगा।
25. वाहन वार मासिक विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

नोटः– नियम एवं शर्त्तों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा राँची स्थित न्यायालय के अन्तर्गत होगा।